संख्या-34/2021/1714144/12-5002(002)/3/2021

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 28 जुलाई, 2021**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण,101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण,04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शो0 एवं मृ0सर्वे0/155/लेखा/पुनर्विनियोग 2020-21, दिनांक 02.07.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण,101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण,04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू0 1.01 लाख (रू० एक लाख एक हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

3-जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है,धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा।

4-पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

5-जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

6-उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण,101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना के मानक मद 01-वेतन में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण,101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण,04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

7-वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-34(1)/2021/1714144(1)/12-5002(002)/3/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0 एम 0-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
प्रपत्र बी0 एम 0-09

वित्तीय वर्ष 2021-22
(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2402 00 101 0400 2402-मृदा तथा जल संरक्षण 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण 04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना					
01-वेतन	78.92	1.01	1.01	1.01	77.91
कुल योग	78.92	1.01	1.01	1.01	77.91

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2402 00 101 0400 2402-मृदा तथा जल संरक्षण 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण 04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना					
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	1.01	1.01	1.01	1.01
कुल योग	0.00	1.01	1.01	1.01	1.01

(रू0 एक लाख एक हजार मात्र)

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-
अ- जनपदीय कार्यालयों द्वारा उपरोक्त मानक मदों में धनराशि पर्याप्त न हो पाने के कारण मांग की गयी है।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय नही है:-
ब- वित्तीय वर्ष 2021-22 में सातवें वेतन आयोग के क्रम में पुनरीक्षित वेतन का अवशेष दिया जाना है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्याः आर0ई0-25-ई-1-दस-2021, दिनांकः 22-7-2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Signed by विरेन्द्र कुमार
Date: 22-07-2021 17:51:32
Reason: Approved

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(फूल चन्द)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-1714144/12-5-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0 एम 0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।